संख्या- 5/2021/1731/तीस-4-2021

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 01 नवम्बर, 2021

विषय परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के अन्यत्र सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि परिवहन आयुक्त संगठन के अधीन परिक्षेत्रीय एवं संभागीय कार्यालयों में तैनात समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों का कतिपय कारणों से अपने स्तर से ही सुविधाजनक कार्यालयों में सम्बद्धीकरण किया जा रहा है, जो शासकीय कार्यहित एवं स्वस्थ व पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत उचित नहीं है। कार्मिकों के अनियमित ढंग से सम्बद्धीकरण किये जाने के फलस्वरूप न केवल विभाग की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि विभाग की प्रशासकीय छवि भी धूमिल होती है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी उप परिवहन आयुक्त अथवा संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किसी भी कार्मिक के सम्बन्ध में सम्बद्धीकरण का आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा तथा किसी भी कार्मिक के सम्बन्ध में विभाग के उक्त अधिकारियों द्वारा अब तक किये गये समस्त सम्बद्धीकरण आदेश निरस्त माने जायेगें। भविष्य में इस प्रकार किये जाने वाले समस्त आदेशों को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।